



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228567
CG-DL-E-29072021-228567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2780]
No. 2780]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

का.आ. 2991(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र सं. 3970 भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 10 दिसंबर, 2019 में पृष्ठ 2-5, 10 व पृष्ठ 17, 21 तक प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4415(अ) तारीख 5 दिसंबर 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-

अनुसूची

जिला : कछार

सब-डिविजन : सिलचर

राज्य : असम

के स्थान पर	पढ़ें
सर्कल: कटीगोरह	सर्कल: कटीगोरह
तहसील: कटीगोरह	तहसील: कटीगोरह
गाँव का नाम (प्रकाशित)	गाँव का नाम
भंगेरपार पीटी-1	भंगेरपार पीटी-5

[फा. सं. एल-14014/129/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th July, 2021

S.O. 2991(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4415(E) dated 5th December 2019, published at pages 2-5, 10 & 17, 21 in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India No. 3970, dated 10th December 2019, namely:-

In the Schedule to the said notification: -

SCHEDULE**District: Cachar****Sub-division- Silchar****State: Assam**

1. Circle: Katigorah Tehsil: Katigorah	
For	Read
Name of Village as published	Name of Village
Bhangerpar Pt-1	Bhangerpar Pt-5

[F. No. L-14014/129/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.